



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005

केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001

Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN:L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 18 May, 2023

PGCIL/R/E/23/00149 & 00151

SHRI TUSHAR CHICKHEDE,

Gudhiyari kota road shree krishna landmark, Flat C-56, Raipur (C.G.)-492011 Chattisgarh

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 28 April, 2023 तथा 01 May 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध पत्रों का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्रों में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (केन्द्रीय आयोजना एवं सी.एस.) एवं अपील प्राधिकारी

केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।

ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in

फोन नंबर: 0124-2571960

धन्यवाद,

भवदीय,



(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केन्द्रीय आयोजना) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request of Shri Tushar Chichkhede, Raipur, Chhattisgarh

(RTI Regn.Nos. PGCIL/R/E/23/00149 & 00151)

Information sought:	POWERGRID's Reply:
<p>With reference to Advt. No. CC/01/2022 dtd.27.01.2022 (Recruitment of Assistant Engineer Trainee), you are requested to provide the name and GATE 2021 rank of all the candidates who joined the post of AET Electrical under SC category.</p>	<p>Your request to provide the name of candidates who joined the post of AET Electrical under SC category is denied, as the same is personal information of third party, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest and which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual. Hence, the information cannot be provided under Clause 8 (1) (j) of RTI Act, 2005.</p> <p>Further, it is to inform that the shortlisting of candidates for GD & Interview is done on the basis of marks scored in GATE examination of respective year for the recruitment of AETs.</p>

विधि-2
18/05/2023